संचिका सं0–टी–3(यो0)/भवन–33/2018............................/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)

नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, पटना–01

कौशल बलम्

बिहार सरकार

प्रेषक,

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांक–............/............/2025

विषयः– **राज्य सरकार के पूर्व से संचालित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के परिसर में जलापूर्ति प्रणाली (बोरिंग) का डिजाइन एवं निर्माण संबंधी कार्य हेतु कुल राशि रू० 22,46,500/– (बाइस लाख छियालिस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पूर्व से संचालित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के परिसर में जलापूर्ति प्रणाली (बोरिंग) का डिजाइन एवं निर्माण संबंधी कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना) के पत्रांक–538 दिनांक–08.04.2025 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में कुल राशि रू० 22,46,500/– (बाइस लाख छियालिस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष –0101–नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड–26–2230031010101 के विषय शीर्ष–0101–13–01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या– टी–3(यो0)/भवन–33/2018 के पृष्ठ–...52.../टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार पटना।

ज्ञापांक– टी–3(यो0)/भवन–33/2018 .... पटना, दिनांक–............/............/2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

NK

ज्ञापांक– टी–3(यो0) / भवन–33 / 2018 ...1637...... / पटना, दिनांक–...26.../...06.../2025

प्रतिलिपिः–आयुक्त, मुंगेर / जिला पदाधिकारी, शेखपुरा / जिला कोषागार, पदाधिकारी, शेखपुरा / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा / प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / मासिक व्यय विवरणी शाखा / बजट शाखा / योजना शाखा / आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.6.25

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।